

फा. सं०.सीबीईसी-20/16/04/2018-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी नीति स्कंध

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च, 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त /

केन्द्रीय कर आयुक्त(सभी)

प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: एकमात्र मालिक की मृत्यु के मामले में इनपुट टैक्स क्रेडिट के हस्तांतरण संबंधी स्पष्टीकरण - के संबंध में

संशय किए गए हैं कि क्या केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017(एतश्मिनपश्चात् „सीजीएसटी अधिनियम“ के रूप में संदर्भित) की धारा 18 की उपधारा (3) इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एकमात्र मालिक की मृत्यु के मामले में हस्तांतरी के लिए अप्रयुक्त बना रहता है, के हस्तांतरण के लिए उपबंधित है। केंद्रीय माल और सेवा नियमावली, 2017(एतश्मिनपश्चात् „सीजीएसटी नियमावली“ के रूप में संदर्भित) के नियम 41 के उप-नियम (1) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति (व्यवसाय का हस्तांतरणकर्ता) हस्तांतरी को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बचे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के हस्तांतरण के लिए अनुरोध के साथ आम पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-02 फाइल कर सकता है। इसके अलावा, एकमात्र मालिक की मृत्यु के मामले में प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-02 फाइल किए जाने की प्रक्रिया संबंधी स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। इन मुद्दों को स्पष्ट किए जाने के क्रम में और कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित किए

जाने हेतु, बोर्ड सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उठाए गए मुद्दों को निम्नानुसार स्पष्ट करता है ।

2. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (क) में प्रावधान में व्यापार के हस्तांतरण का कारण "मालिक की मौत" भी है । इसी प्रकार, एकरूपता के लिए और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 85 की उपधारा (1) और सीजीएसटी नियमावली के नियम 41 के उप-नियम (1) के उद्देश्य हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यवसाय के स्वामित्व में स्थानांतरण या परिवर्तन, एकमात्र मालिक की मृत्यु के कारण व्यवसाय के स्वामित्व में स्थानांतरण या परिवर्तन शामिल होंगे ।

3 एकमात्र मालिक की मृत्यु के मामले में यदि व्यवसाय स्थानांतरी या उत्तराधिकारी होने के नाते किसी व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही में बिना उपयोग के बचा रहता है को प्रावधानों के अनुसार और नीचे दिए गए ढंग में स्थानांतरी को स्थानांतरित किए जाने की अनुमति है-

क. स्थानांतरी / उत्तराधिकारी का पंजीकरण दायित्व: सीजीएसटी अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, स्थानांतरी या उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे हस्तांतरण या उत्तराधिकार की तिथि से पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा जहां मालिक की मृत्यु सहित किन्हीं कारणों से कोई व्यवसाय दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया जाता है । आम पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से FORM GST REG-01 में आवेदन करते समय आवेदक को "मालिक की मृत्यु" के रूप में पंजीकरण प्राप्त किए जाने का कारण का उल्लेख करना आवश्यक है ।

ख. मालिक की मृत्यु के कारण पंजीकरण रद्द किया जाना: सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) का खंड (क), किसी व्यवसाय के एकमात्र मालिक की मृत्यु के मामले में कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुमति देता है कि वे स्वामी की मृत्यु सहित किसी भी कारण से व्यापार के हस्तांतरण के कारण आम पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रपत्र जीएसटी आरईजी-16 में पंजीकरण रद्द किए जाने हेतु आवेदन फाइल करें । प्रपत्र जीएसटी आरईजी-16 में, रद्द किए जाने हेतु "एकमात्र मालिक की मृत्यु" के रूप में कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक है

। स्थानांतरी के जिस जीएसटीआईएन को व्यापार में स्थानांतरित किया गया है, स्थानांतरी के जीएसटीआईएन सहित स्थानांतरणकर्ता के जीएसटीआईएन के साथ जोड़ने के लिए भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है ।

ग. **इनपुट टैक्स क्रेडिट और देनदारी का हस्तांतरण:** एकमात्र मालिक की मौत के मामले में, यदि व्यवसाय के स्थानांतरी या उत्तराधिकारी होने के नाते किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार को जारी रखा जाता है, तो इसे व्यवसाय के हस्तांतरण के रूप में माना जाएगा । सीजीएसटी अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3), पंजीकृत व्यक्ति को सीजीएसटी नियमावली के नियम 41 में निर्धारित ढंग में अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही में बचे अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का हस्तांतरण किए जाने की अनुमति प्रदान करता है, जहां देनदारियों के हस्तांतरण के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं । सीजीएसटी अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के अनुसार, स्थानांतरणकर्ता और स्थानांतरी / उत्तराधिकारी "पूरे या आंशिक रूप से, बिक्री, उपहार, पट्टे, लीव और लाइसेंस किराया या किसी अन्य ढंग में जो भी हो के द्वारा" व्यवसाय के स्थानांतरण के मामले में स्थानांतरी से देय संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से किसी भी कर, ब्याज या किसी भी दंड का भुगतान किए जाने हेतु उत्तरदायी होंगे । इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 93 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि जहां सीजीएसटी अधिनियम के तहत कर, ब्याज या दंड का भुगतान किए जाने हेतु उत्तरदायी कोई व्यक्ति मर जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति उसकी मृत्यु के पश्चात् व्यवसाय जारी रखता है, इस अधिनियम के तहत कर, ब्याज या दंड का भुगतान किए जाने हेतु उत्तरदायी होगा । अतः, यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरी / उत्तराधिकारी एकमात्र मालिक की मौत के कारण व्यापार के हस्तांतरण के मामलों में हस्तांतरणकर्ता द्वारा देय किसी भी कर, ब्याज या किसी भी दंड का भुगतान किए जाने हेतु उत्तरदायी होगा ।

घ. **क्रेडिट के स्थानांतरण का तरीका:** सीजीएसटी नियमावली के नियम 41 के उप-नियम (1) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति बिक्री, विलय, डी- मर्जर, समामेलन, पट्टे या किसी भी कारण से व्यवसाय के स्वामित्व में स्थानांतरण या परिवर्तन की स्थिति में अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाते में बचे इनपुट टैक्स क्रेडिट के हस्तांतरण के अनुरोध सहित आम पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-02 फाइल करेगा । एकमात्र मालिक की मृत्यु के कारण व्यवसाय के

हस्तांतरण के मामले में, स्थानांतरी / उत्तराधिकारी पंजीकरण के संबंध में प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-02 फाइल करेंगे जिसे एकमात्र मालिक की मृत्यु के कारण रद्द किया जाना आवश्यक है । इस तरह के पंजीकरण को रद्द किए जाने हेतु आवेदन को फाइल किए जाने से पूर्व प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-02 को स्थानांतरी / उत्तराधिकारी द्वारा फाइल किया जाना अपेक्षित है । स्थानांतरी / उत्तराधिकारी द्वारा स्वीकार्यता पर, प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-02 में निर्दिष्ट अनुपयोगी इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही में क्रेडिट किया जाएगा ।

4. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री को प्रचारित किए जाने हेतु उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं ।
5. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में, कठिनाई, यदि कोई हो, को बोर्ड के ध्यान में लाया जाए ।

(उपेंद्र गुप्ता)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)
